

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में
सी0एम0पी0 संख्या-347 / 2019

मंगलेश्वर सिंह

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. उपेंद्र प्रसाद केशरी

2. उपायुक्त, चतरा के माध्यम से झारखंड राज्य

..... विरोधी पक्ष

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश कुमार

याचिकाकर्ता के लिए : श्री सुधीर कुमार शर्मा, अधिवक्ता

विपक्षी गण के लिए : श्री योगेंद्र प्रसाद, अधिवक्ता

04 / दिनांक:22 / 11 / 2019

वर्तमान याचिका सिविल रिव्यू सं0 100 / 2018 की अपनी मूल फाइल में पुनःस्थापन हेतु दायर की गई है जिसे 29.03.2019 के अनुल्लंघनीय आदेश के अनुपालन नहीं करने के लिए खारिज कर दिया गया है।

पार्टियों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना।

वर्तमान सी0एम0पी0 में उचित कारण बताया गया है और इस तरह सिविल रिव्यू सं0 100 / 2018 को इसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित किया जाता है। तदनुसार, इस सी0एम0पी0 का निपटान किया जाता है।

आवेदक को आज से दो सप्ताह के भीतर सिविल रिव्यू याचिका के त्रुटि संख्या 6 को दूर करने की अनुमति है, विफल होने पर सिविल रिव्यू याचिका को खंडपीठ के संदर्भ के बिना खारिज कर दी जाएगी।

(राजेश कुमार, न्याया0)